न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 40/2022 G.C.M.S. No. 2022/355 दर्ज दिनांक : 21.06.2022

अपीलार्थिगणः

1. गजनाथ पुत्र श्री चतरनाथ जाति कालबेलिया जोगी निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली राजस्थान के वारिसान एवं कायम मुकामः–
   1/1 रमेशनाथ पुत्र स्वर्गीय गजनाथजी जाति कालबेलिया जोगी आयु वयस्क निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
   1/2 भीखानाथ पुत्र स्वर्गीय गजनाथजी जाति कालबेलिया जोगी आयु वयस्क निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
   1/3 सुरेशनाथ पुत्र स्वर्गीय गजनाथजी जाति कालबेलिया जोगी आयु वयस्क निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
   1/4 मीरादेवी पत्नि स्वर्गीय गजनाथजी जाति कालबेलिया जोगी आयु वयस्क निवासी कोलीवाड़ा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रत्यर्थिगणः

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2018 द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2007 बअनवान गजनाथ बनाम राजस्थान राज्य एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थित–

1. श्री जितेन्द्र राठौड़, श्री प्रशांत सोनी विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 24.02.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2018 द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2007 बअनवान गजनाथ बनाम राजस्थान राज्य के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 तथा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 163, 168, 169, 172, 173 तथा 174 में से 0.04 हैक्टेयर कुल कित्ता 6 रकबा 1.6900 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जिसके सम्बंध में अपीलान्ट जगनाथ ने उक्त वाद मातहत अदालत में प्रस्तुत किया था। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व यानि संवत् 2012 से पुर्व से लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है, जिससे बाई आपरेशन आफ लॉ के धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो चुका था, लेकीन राजस्व अभिलेख में आज तक अपीलान्ट का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं होने के कारण अपीलान्ट ने मातहत अदालत के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत किया, लेकिन मातहत अदालत ने केम्प कोलीवाडा के दौरान अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एक तरफा उक्त निर्णय पारित कर अपीलान्ट के वाद को खारिज कर दिया। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अपीलान्ट वादी का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने के पूर्व से वादग्रस्त आराजी पर होने से वादी बाई आपरेशन आफ लॉ के वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक हो चुका है तथा समय समय पर वादी द्वारा लगान का भुगतान भी राज्य सरकार को किया गया है, फिर भी केम्प के दोरान वादी या उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित कर वाद को खारिज किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है तथा मातहत अदालत ने वर्तमान समय में वादग्रस्त आराजी सुमेरपुर के पेराफेरी एरिया में आने के कारण आबंटन या नियमन या खातेदारी अधिकार देना विधि सम्मत नहीं होना गलत माना है जब कि वादी अपीलान्ट यह वाद लेकर आया है कि वादी का कब्जा संवत 2012 से पुर्व यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से ही लगातार चला आ रहा है तथा धारा 15 व 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वादी अपीलान्ट स्वतः ही वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक बन चुका था, वर्तमान समय में वादग्रस्त आराजी सुमेरपुर पैराफैरी एरिया में आ जाने से अपीलान्ट के हक अधिकार किसी भी कदर प्रभावित नहीं होते है तथा न ही उससे न्यायालय किसी भी प्रकार से पाबंद है, जिससे पारित किया गया निर्णय सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था तथा वाद न्यायालय के सुनवाई योग्य होने से दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। उक्त वाद निर्णय के समय साक्ष्य वादी में नियत तथा प्रकरण में पेशी दिनांक 09.05.2018 को केम्प में राजीनामा हेतु नियत की गई थी, वादी की मृत्यु दिनांक 20.09.2017 को हो जाने के कारण वह लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुआ लेकीन लोक अदालत में वादी अपीलान्ट के वारिसान या उनके अधिवक्ता की जानकारी के बिना एक तरफा निर्णय पारित कर वाद को खारिज किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद दर्ज होने के बाद विधि अनुसार सुनवाई के बाद ही उसका विधि अनुसार निर्णय किया जाना होता है। उक्त प्रकरण को सी पी सी के प्रावधान के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित कर वाद को खारिज किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया था, जवाब में लिखे गए तथ्यों को बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

साक्ष्य नहीं पढ़ा जा सकता है तथा न ही उन्हें साबित माना जा सकता है। वादी की साक्ष्य पुर्ण हुए बिना बिच केम्प में ही जवाबदावा पर विश्वास कर वाद को खारिज किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जवाब के बाद बिना साक्ष्य लिए सीधे ही निर्णय पारित कर वाद को खारिज कर दिया जाए। मातहत अदालत ने विधि के प्रावधानों का अनदेखा कर केम्प में उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में वादी अपीलान्ट जगनाथ वादी की मृत्यु दिनांक 20.09.2017 को चुकी थी, जिससे उनके वारिसान को रेकर्ड पर लाए बिना उक्त प्रकरण में निर्णय पारित नहीं हो सकता था. फिर भी केम्प में गलत व विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। केम्प के दौरान केवल मात्र राजीनामा योग्य प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है, किसी भी प्रकरण को मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी एक तरफा उक्त मेरिट पर निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय को अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त सरकारी भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु रेस्पोंडेंट सरकार के विरूद्ध वादपत्र दिनांक 20.04.2007 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.05.2018 द्वारा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत की गई। जोकि लगभग 1410 दिवस के दीर्घ विलंब पश्चात परिसीमा अवधि बाद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 20.09.2017 को हो चुकी थीं तथा दिनांक 09.05.2018 के दिन वादी मृत्यु के कारण कैम्प में उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही अधिवक्ता उपस्थित हुए। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। मातहत अदालत द्वारा प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया है। जिसकी जानकारी दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

22.04.2022 को होने पर नकल आवेदन कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता वादी गजनाथ की मृत्यु दिनांक 20.09.2017 को हो चुकी थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2018 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जोकि एकमात्र मृतक वादी के विरूद्ध पारित किया गया है। ऐसे निर्णय आरंभतः शून्य होने से परिसीमा अवधि से बाधित नहीं माने जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार व पैरोकार की अनुपस्थिति में लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः हमारे विनम्र मत में मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त माना जाता है। अतः विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी से जवाबदावा लेकर विवाद्यक भी विरचित किए जा चुके थें तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में जैरकार थीं। आदेशिका दिनांक 09.05.2018 के अंकन अनुसार पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोलीवाड़ा में पेश हुई। वादी द्वारा सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि के आवंटन/नियमन करवाने हेतु वाद दायर किया। भूमि नगरपालिका सुमेरपुर के पेराफेरी क्षेत्र में होने से वाद खारिज किया जाता है। स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सहमति से निष्पादित राजीनामें के अभाव में वादी को सूचित किए बिना पत्रावली लोक अदालत कैम्प में रखकर वादपत्र खारिज किया गया। जबकि वादी की मृत्यु हो चुकी थीं।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है–
"No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties." इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

6. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है– "न्यायालय हर एक विवाद्यक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा– उन वादों में, जिनमें विवाद्यक की विरचना की गई हैं, जब तक कि विवाद्यकों में से किसी एक या अधिक का निष्कर्ष वाद के विनिश्चय के लिए पर्याप्त न हो, न्यायालय हर एक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या विनिश्चय उस निमित्त कारणों के सहित देगा।" इस प्रकार यह आज्ञापक विधिक प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रत्येक विवाद्यक पर उपलब्ध साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों एवं विधिक प्रक्रियागत उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक विवाद्यक पर स्पष्ट कारण सहित पृथक–पृथक विनिश्चय एवं विनिर्णय करना होता है तथा इसके तत्पश्चात प्रकरण को अंतिम रूप से निर्णित किया जाना होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक तो विरचित किए गए हैं लेकिन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में न तो किसी भी पक्ष से साक्ष्य ली गई हैं न ही किसी पक्ष को अपना पक्ष साबित करने या बचाव करने का कोई अवसर दिया गया है तथा न ही विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन एवं निर्णयन किया गया है। यदि बावजूद सूचना के पक्षकार/पैरोकार उपस्थित नहीं होते हैं तो प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा सकता है, लेकिन किसी भी दृष्टि से गुणावगुण के आधार पर निर्णयन नहीं किया जा सकता। अतः यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय लोक अदालत के अंतर्गत नहीं कर कैम्प कोर्ट के रूप में भी किया गया है, तो भी उक्त निर्णय का समर्थन एवं पुष्टि नहीं की जा सकती।

7. अतः हमारे विनम्र मत में अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 40/2007 बअनवान गजनाथ बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य समायत कर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में विधिनुसार अंतिम निर्णय व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है, कि वे दिनांक 24.03.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner